IV-30/2016

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

25 OCT 2016

Y 498508

न्यास-पत्र

यह सार्वजनिक न्यास का प्रलेख आज दिनांक 10/11/2016 को कादीपुर में **कमलेश कुमारी वर्मा पत्नी** स्व० **राजगपि वर्मा ग्राम व पोस्ट–मगरांवा, तहसील–कादीपुर, जिला–सुलतानपुर** २०२० जो भारत के रहने वाले हैं जिनको बाद में 'सेटलर/निदेशक/प्रशासक' कहा जायेगा (इस शब्द में उनके उत्तराधिकारियों निष्पादकों तथा प्रशासकों को शामिल माना जायेगा जब तक कि यह शब्द वर्णन सन्दर्भ में उसके अर्थ के विरुद्ध में न हो तथा 2– **राजगपि वर्मा पुत्र स्व० रामनयन वर्मा**, ग्राम व पो० **मगरांवा**, तहसील–कादीपुर, जिला–सुलतानपुर, २०२० जिनको यहां बाद में कोषा अध्यक्ष कहा जायेगा। तथा 3– श्रीमती **संगीता देवी** पत्नी श्री **रमेश गौतम** ग्राम व पो० **मगरांवा**, तहसील–**कादीपुर** जिला–**सुलतानपुर**, २०२०, 4– **गुलशन** पुत्र **इलियाज**, ग्राम–खण्डौरा व पो० **त्रिलोकपुर नेवादा**, कादीपुर, सुलतानपुर, २०२०, 5– **श्रीमती शीला** पत्नी **रामअजोर बुनकर** ग्राम–खण्डौरा व पो० **त्रिलोकपुरनेवादा** कादीपुर, सुलतानपुर २०२०, 6–लालचन्द्र वर्मा पुत्र श्री रामअजोर वर्मा ग्राम–पूरेगिरई, पोस्ट–दूरेपुर तहसील–सदर, जिला–सुलतानपुर 7– चन्द्रावती वर्मा पत्नी फूलचन्द्र वर्मा ग्राम–पूरेगिरई, पोस्ट–दूरेपुर तहसील–सदर, जिला–सुलतानपुर २०२० जो भारत के रहने वाले हैं जिनको यहां बाद में 'न्यासीगण' व इस सन्दर्भ में कुछ समय के लिए बनाये गये न्यासी तथा न्यासीगण के उत्तराधिकारी एवं उत्तराधिकारीगण निष्पादक उसके अर्थ के विरुद्ध न हो, को सेटलर के अनुरोध पर सदस्य बनने को तैयार है।

1. अ– सम्पत्ति–
सेटलर 1100/-रु० नकद पर न्यास की स्थापना कर रहा है। भविष्य में दान, अंशदान तथा अन्य पट्टा आदि से जो भी सम्पत्ति प्राप्त होगी तो स्पष्ट किया जाता है कि सार्वजनिक न्यास में जो एक सम्पत्ति एक बार निहित हो जायेगी वह भी न्यास की सम्पत्ति होगी। इसको न तो बेच सकता है और न ही गिरवी रख सकता है और न ही किराये पर दे सकता है, परन्तु यह नियम सेटलर पर प्रभावी नहीं होगा।
ब– सेटलर प्रलोभकारी भावना से आरोपित धनराशि का एक सार्वजनिक धर्मोपकारी न्यास बनाने के इच्छुक हैं।
स– न्यासीगण इस न्यास के प्रथम न्यासीगण बनने को सहमत हो गये हैं।
द– इस लेख के पूर्वभाग के उल्लेखित 1100/- नकद रुपये की धनराशि प्राप्त की गई।

कमलेश कुमारी

ने. 5/500 बदले श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी राजमणि वर्मा

सा० भगरायें थाना इसौरा तहसील कादीपुर जिला सुल्तानपुर

वादी द्वय

[signature]

10-11-2016

राम चन्द्र मौर्य
स्टाम्प विक्रेता कादीपुर
सुल्तानपुर ला0 नं0 [illegible]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DB 792965

लेख के निष्पादन के पूर्व ही न्यासीगण को स्थानान्तरित अथवा एवं हस्तगत करा दिया गया है।

2. **ट्रस्ट का नाम**– राम कुमार वर्मा फाउण्डेशन रहेगा जो कभी बदला नहीं जायेगा।
क– ट्रस्टी का तात्पर्य वर्तमान ट्रस्टीज व बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा समय–समय पर नामित ट्रस्टीज से होगा एवं किसी ट्रस्टी की मृत्यु पर यदि ट्रस्टी सेटलर की शाखा से हो तो उसका ज्येष्ठ पुत्र और यदि कोई पुरुष सन्तान नहीं है तो उसकी ज्येष्ठ पुत्री। पुत्र या पुत्री तथा उनकी सन्तानों के जीवित न होने की स्थिति में सेटलर की शाखा के अन्य ट्रस्टी की ज्येष्ठ सन्तान ट्रस्टी नामित हो सकता है। उक्त नियम तभी लागू होगा जब सेटलर द्वारा कोई नामित व्यक्ति (ट्रस्टी) नहीं होगा।
ख– बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा अन्य व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो अथवा महिला चाहे जिस धर्म जाति व सम्प्रदाय की हो आवश्यकता पड़ने पर नामित किया जायेगा।
ग– मैनेजिंग ट्रस्टी वह व्यक्ति होगा जो सेटलर की शाखा से ही हो जिसे तत्कालीन मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने कार्यकाल में भविष्य के लिए नामित किया गया हो।

3. **कमेटी/कमेटीज**– बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा इस सार्वजनिक न्यास को चलाने के लिए विभिन्न कमेटियों का गठन किया जायेगा परन्तु उक्त कमेटीयों का अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा नामित ट्रस्टी ही होगा और उक्त न्यास का हेड ही पदेन सचिव रहेगा, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पदेन सचिव को छोड़कर कमेटी के सदस्यों का कार्यकाल मात्र दो वर्ष होगा परन्तु मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा यह कार्यकाल कभी भी घटाया जा सकता है। इस दिशा में मैनेजिंग ट्रस्टी का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

4. **पदेन सचिव**– सार्वजनिक न्यास द्वारा विभिन्न कार्यों को चलाने के लिए जो कमेटीज बनायी जायेगी उसमें न्यास का हेड ही पदेन सचिव होगा जिसका पावर ऑफ सुपरिटेन्डेन्स भी होगा परन्तु न्यास के विरुद्ध कोई निर्णय कमेटी द्वारा नहीं किया जायेगा।

5. **न्यास के पदाधिकारीगण**– बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में से मैनेजिंग ट्रस्टी अपने विवेक से उपाध्यक्ष व सचिव नियुक्त करेगा लेकिन कार्यकाल मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकेगा है जिसे किसी भी ट्रस्टी द्वारा नहीं व कभी भी चुनौती नहीं दी जा सकती है।
क–उपाध्यक्ष– बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का वह सदस्य जिसे मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा नियुक्त किया गया जो मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुपस्थिति में या गैरजमानी में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग की अध्यक्षता करेगा, परन्तु ऐसी विशेष परिस्थितियों में नीतिगत निर्णय नहीं लिये जायेंगे।

Om Prakash Kumar

अ. 5 डीड नं. 4

Annexure VII

10-11-2016

राम चन्द्र मौर्य
सहायक निबंधक कादीपुर
सुलतानपुर तहसील कादीपुर

दान पत्र

1,100.00	40.00	80	120.00	28
स्टाम्प की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व अन्य शुल्क	योग	पृष्ठों की संख्या

श्रीमती कमलेश कुमारी वर्मा- सेटलर
पत्नी श्री राजमणि वर्मा कमलेश कुमारी
व्यवसाय .
निवासी ग्रामसभा मंगरायां परO अलदेमऊ तहO कादीपुर जिO सुलतानपुर
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 10/11/2016 समय 4:49PM
पढ़े लिखवाकर हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
राज बहादुर (प्रभारी)
उप निबंधक
कादीपुर
10/11/2016

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने सजगत
न्यासी

श्रीमती कमलेश कुमारी वर्मा- सेटलर
पत्नी श्री राजमणि वर्मा कमलेश कुमारी
पेशा .
निवासी मंगरायां परO अलदेमऊ तहO कादीपुर
जिO सुलतानपुर

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिसकी पहचान राम किशुन मौर्य राम किशुन मौर्य
स/O राम मिलन मौर्य
पेशा :
निवासी खजीहपुर तहO कादीपुर जिO सुलतानपुर
व राजेन्द्र प्रसाद मौर्य
राम कुवेर मौर्य
पेशा :
निवासी मालीपुर जगदीशपुर तहO कादीपुर जिO सुलतानपुर
ने की ।

पक्षकार भट गवाहों के निशान अंगूठे निशानात लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
राज बहादुर (प्रभारी)
उप निबंधक
कादीपुर
10/11/2016



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DB 792618

ख–सचिव– बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में से मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने विवेक से किसी ट्रस्टी की नियुक्ति कर सचिव की जायेगी, जिसके कार्यकलाप व अधिकारी समय–समय पर मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने विवेक से निर्धारित किया जायेगा।

ग–कोषाध्यक्ष– कोषाध्यक्ष की नियुक्ति बोर्ड ऑफ ट्रस्टी द्वारा किसी ट्रस्टी को ही किया जायेगा व उसके अधिकार व कार्यकलाप का निर्णय बोर्ड ऑफ ट्रस्टी द्वारा किया जायेगा।

घ– अन्य पदाधिकारी– इसकी नियुक्ति बोर्ड द्वारा किया जायेगा जो मुख्यतः बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सदस्य होंगे जिनका कार्यकाल व कार्यक्षेत्र बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की स्वेच्छा व विवेक पर होगा।

8. न्यासगण का हटाया जाना/अयोग्यता– न्यासीगण को निम्नलिखित कृत के पश्चात् अपने पद से मुक्त अथवा अयोग्य समझा जायेगा–

अ– न्यास द्वारा अपने पद से इस्तीफा देने की स्थिति में।

ब– बगैर युक्तियुक्त कारण के ट्रस्ट की कार्यवाहियों में लगातार 6 महीने तक भाग न लेने की स्थिति में अथवा बगैर युक्तियुक्त कारण के लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने की स्थिति में।

स– बगैर युक्तियुक्त कारण के न्यास की अन्यराशि को समय पर न जमा करना अथवा अपने निजी कार्यों के उपयोग में प्रयोग करने की स्थिति में।

द– किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पागल/दिवालिया घोषित होने की स्थिति में।

ह– किसी न्यासी द्वारा न्यास के हित एवं मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध कार्य करने की स्थिति में।

7. ट्रस्ट का मुख्यालय– अस्थायी– राम कुमार वर्मा फाउण्डेशन, ग्राम–नगरांवा, पोस्ट–नगरांवा, तहसील–कादीपुर, जिला–सुलतानपुर, उ0प्र0।

स्थायी– राम कुमार वर्मा फाउण्डेशन, ग्राम–नगरांवा, पोस्ट–नगरांवा, तहसील–कादीपुर, जिला–सुलतानपुर, उ0प्र0।

8. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण भारत।

9. अधिकार व कर्तव्य–

(i) मैनेजिंग ट्रस्टी/सेक्रेटरी–

अधिकार– ट्रस्ट का सम्पूर्ण प्रशासन आदि मैनेजिंग ट्रस्टी में निहित होगा। अपने अधिकारों का प्रयोग अपने समय–समय पर सभापति व सचिव की नियुक्ति कर उनका अधिकार प्रदान करेगा। इसे यह भी अधिकार होगा कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के फैसले/निर्णय जो न्यास के हित में न हो को अपने विवेक से अनिश्चित काल तक स्थगित कर सकता है।

कमलेश कुमारी

रु. 6/100 रजिस्टर 4

10-11-2016

राम चन्द्र मौर्य
स्टाम्प विक्रेता लाईसेन्स
गुलरिहा PHD HO KOSI

न्यासी

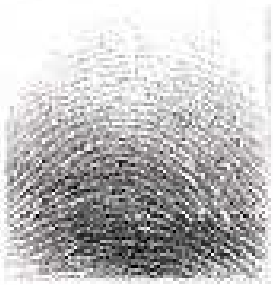
Registration No.: 30 Year : 2016 Book No. : 4

0101 कमलेश कुमारी वर्मा- सेटलर

बालमति वर्मा

संपत्तयां परिअलेमक तहसीलदारपुर जिलागुलरिहापुर







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DB 792619

कर्तव्य– मैनेजिंग ट्रस्टी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि न्यास का कार्यकलाप सुचारु रूप से चलता रहे, वह अपने कार्यकाल में ही अपना उत्तराधिकारी नामित कर सकता है या अपने द्वारा नामित व्यक्ति को बदल सकता है या पुनः नामित कर सकता है। इस नामांकन के अधिकार को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है।

(ii) न्यास–पत्र निम्नलिखित का साक्षी–

1. उपरोक्त न्यास के न्यासीगण न्यास के लिए उपरोक्त धनराशि न्यास पत्र में आगे लिखी गयी शर्तों, प्रावधानों, संशोधन तथा घोषणा के अनुसार धारित करेंगे।
2. न्यासगण एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि वे उपरोक्त धनराशि को धारित करेंगे।
3. यह कि न्यास के नाम से जाना जायेगा। इसका कार्यालय अस्थायी **राम कुमार वर्मा फाउण्डेशन, ग्राम–मगरांवा, पोस्ट–मगरांवा, तहसील–कादीपुर, जिला–सुलतानपुर, उ0प्र0,** व स्थायी **राम कुमार वर्मा फाउण्डेशन, ग्राम–मगरांवा, पोस्ट–मगरांवा, तहसील–कादीपुर, जिला–सुलतानपुर, उ0प्र0** का समय–समय पर इस न्यास के सार्वजनिक/प्रशासकीय न्यायालयगण द्वारा निर्णीत किये गये स्थान पर होगा। उपरोक्त न्यास (**राम कुमार वर्मा फाउण्डेशन**) उपरोक्त धनराशि का उपयोग सार्वजनिक कल्याण अर्थात् जाति, धर्म, लिंग आदि की भावना से परे शिक्षा चिकित्सा, सामाजिक उत्थान एवं अन्य उद्देश्यों को जनसाधारण हेतु उपलब्ध होगा। इस न्यास में न्यासीगण लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेंगे। इस न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत में स्थित व्यवस्थाओं के मान्य सिद्धान्तों पर होगा।
4. न्यासीगण न्यास कोष की आय एवम् धनराशि जिसमें न्यास की सामग्री में दी जाने वाली सहयोग राशि उपहार, दान, विहालन द्वारा अर्जित किये गये धनराशि भी शामिल होगी तथा इस न्यास कोष का हिस्सा होंगे" को धारित करेंगे। न्यास कोष की आय एवं लाभ में से सर्वप्रथम न्याय के प्रबन्धन, प्रशासन एवं निष्पादन में होने वाले खर्च में भुगतान किया जायेगा।
5. न्यास कोष की आय व लाभ में से सर्वप्रथम न्यास के प्रबन्धन, प्रशासन एवं निष्पादन में होने वाले खर्च में भुगतान किया जायेगा।
6. ट्रस्ट का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं है, न्यास कोष का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जायेगा।

4

कमलेश कुमारी

अ. I अ.क्र. 4

W1

10-11-2016

राम धन गौर्द

Registration No.: 30 Year : 2016 Book No. : 4

W1 राम किशुन गौर्द

स्व0राम मिलन गौर्द

खतीबपुर तह0कादीपुर जि0सुलतानपुर



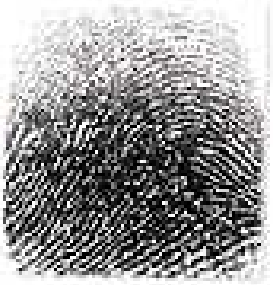


W2 राजेन्द्र प्रसाद गौर्द

राम कुबेर गौर्द

मालापुर जगदीशपुर तह0कादीपुर जि0सुलतानपुर







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21 OCT 2016 OB 792620

अ–शैक्षिक सहायता–

बेरोजगार निर्धन एवं जरूरतमन्द छात्र–छात्राओं को निम्नलिखित माध्यम से शिक्षा प्रशिक्षण एवं सहायता देना :–

क– इंजीनियरिंग एवं तकनीकी शिक्षा जिसमें पालीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग कालेज फार्मेसी, खेल तथा अन्य स्वरूपों खोलना एवं प्रबन्ध करना।

ख– औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थी प्रारम्भ करना।

ग– विधि महाविद्यालय खोलना तथा संचालन प्रबन्धन करना।

घ– एलोपैथिक मेडिकल कालेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, होमियोपैथिक मेडिकल कालेज, नर्सिंग मेडिकल कालेज, पैरामेडिकल कालेज, डेन्टल कालेज की स्थापना।

ङ– कला एवं शिल्प महाविद्यालय, शिक्षा एवं तकनीकि शिक्षा महाविद्यालय, बहुविधिकरण महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, वाणिज्य महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, संगीत एवं नृत्य महाविद्यालय की स्थापना एवं संचालन करना।

च– वाचनालय कक्ष, पुस्तक संग्रहालय तथा शैक्षिक या सांस्कृतिक शिविरों का प्रबन्ध या उसकी सहायता करना।

छ– शैक्षिक समूहों तथा सम्मेलनों का आयोजन करना उसकी सहायता एवं उत्साहवर्धन करना।

ज– छात्र, छात्राओं हेतु अंग्रेजी व हिन्दी माध्यम के प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना।

झ– न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भूमि अधिग्रहित करना, इमारत बनवाना।

ट– विकलांग बच्चों हेतु अंध विद्यालय, मूकबधिर विद्यालय, तथा विकलांग पुनर्वासित केन्द्र की स्थापना एवं संचालन करना।

ठ– निजी क्षेत्र का डीम्ड विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन।

ड– कृषि स्नातक बेरोजगार के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर संचालित करना।

ढ– कम्प्यूटर शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना तथा इन्फर्मेटी, शिक्षा केन्द्रों, इन्स्टीट्यूट की स्थापना व शिक्षा की निःशुल्क

चमलेश कुमारी

अ- 8/100 [illegible] 4

[illegible]

10-11-2016

राम चन्द्र मौर्य
स्टाम्प विक्रेता [illegible]
सुलतानपुर ला0 नं0 [illegible]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21 OCT 2016 DB 792621

व्यवस्था करना।

ग– ज्ञानवर्धन हितार्थ पुस्तकालय एवं वाचनालय की निःशुल्क व्यवस्था करना।

घ– मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, देशी उद्योग तथा अन्य सभी उद्योगों का संचालन करना।

ङ– यह सभी कार्य जो जनहित में हों ट्रस्टी द्वारा किया जायेगा।

ब–चिकित्सीय सहायता–

निर्धन एवं जरूरतमंद लोगों को चिकित्सीय सहायता देना विशेष रूप से।

अ– धर्मार्थ चिकित्सालयों, ब्लड बैंक, आई अस्पताल आदि को प्रारम्भ करना।

ब– निर्धन एवं जरूरतमंद लोगों को पूर्णतया निःशुल्क अथवा आंशिक शुल्क पर चिकित्सा सुविधा देना।

स– ऐसे सभी कार्यों के करना जिससे निर्धनों की चिकित्सा होती हो।

द– निःशुल्क नेत्र चिकित्सा सहायता शिविर, एड्स जागरूकता शिविर, मदिरापान निषेध शिविर का आयोजन करना।

य– किसी भी चिकित्सालय को या चिकित्सालय संस्थान को आपरेशन सामग्री एवं बेड आदि की सहायता करना।

स–सामान्य उद्देश्य–

1. मलिन वर्ग एवं निम्न वर्ग के लोगों को विकास एवं उत्थान तथा उनके स्वतन्त्र जीवन एवं व्यवसाय हेतु सहायता करना।
2. बाढ़ सूखा तथा प्राकृतिक आपदा तथा अन्य विपत्तियों से परेशान लोगों को राहत पहुँचाना।
3. निर्धन विद्यार्थी के लिए लोन की स्थापना।
4. जल की कमीवाले क्षेत्रों में जहाँ कहीं भी हो वहां पर कुआं खुदवाना तथा पेयजल की सुविधा ग्रामीणों को उपलब्ध करवाना।
5. न्यासीगण की अनुमति से न्यास के हित या किसी उद्देश्य हेतु बिल्डिंग बनवाना।
6. सामुदायिक विवाह की रस्में को पूर्ण करवाने में सहायता देना तथा सामूहिक विवाह का आयोजन।
7. ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर को उठाने, भौतिक समृद्धि प्रदान करने एवं सामाजिक न्याय दिलाने तथा उनमें बौद्धिक, शारीरिक एवं सामाजिक पक्षों को विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को संचालित करना।

कमलेश कुमारी

फॉ-9 प्रो.सं. 4

10-11-2016

राम चन्द्र मौर्य
स्टाम्प विक्रेता कादीपुर
सुल्तानपुर ला0 नं0 K2/54



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21 OCT 20[illegible] DB 792622

8. न्यासीगण द्वारा तय किये गये कार्यों के बारे में जो जनसामान्य के लिए लाभदायक हो।
9. साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी विभाग भारत सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार, एवं कल्याणार्थ सम्बन्धित विभाग एवं पर्यावरण संरक्षण व अन्वेषण के क्षेत्र में गिलगुल कर कार्य करना। तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु सरकारी, गैर सरकारी, अर्द्धसरकारी लाभदायी संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना एवं संचालन करना।
10. प्राकृतिक आपदा संरक्षण हेतु हर संभव प्रयास करना तथा पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देते हुए पर्यावरण जागरूकता के कार्यक्रमों का संचालन करना, राज्य कल्याण विभाग, उ0प्र0 केन्द्रीय एवं राज्य कल्याण सलाहकार बोर्ड, कमार्ट, अवार्ड नाबार्ड, सिडबी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, एक्शन एड, सिफरा, सेफ इंडिया, केयर, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, यूएस, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अल्पसंख्यक विभाग उ0प्र0, एवं केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड, सैफेड द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास परियोजनाओं, विकलांग कल्याण कार्यक्रमों के लिए अनुदान प्राप्त कर प्रचार–प्रसार करना।
11. पर्यावरण संरक्षण.

उपर्युक्त के अलावा एतद् द्वारा स्थापित न्यास पर आय कर अधिनियम 1961 की धारा 80जी या उसमें समय–समय पर किया गया संशोधन तुरंत अधिनियम प्रभावी होगा जिसके द्वारा दान दाताओं को आयकर से अलग रखा जायेगा या छूट मिलेगी।

ऊपर तय किये गये लक्ष्य एवं उद्देश्यों को वहन करने में न्यासीगण के लिए यह वैध होगा कि वे स्वतन्त्रता पूर्वक न्यास कोष या उसकी आय को अपने बुद्धि विवेक से उन नियमों एवं शर्तों पर जिसे वे उचित समझते हों किसी न्यास, संस्थाओं, पंचायत स्थानीय परिषद या नगरपालिका की सामग्री या कोष में दान दें या सहयोग करते हुए कार्य करें व शर्तों में सहभागी बनें या नये न्यासों को जन्म दें किन्तु इसका इस शर्त पर कि लाभ किसी विशेष सम्प्रदाय, धर्म, जाति या लिंग तक सीमित न हो।

7. न्यास के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु न्यास को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे–

क– विद्यालयों कालेजों तथा ऐसे संस्थानों जो विकलांग बच्चों को सहायता देते हों उनके बच्चों को ऋण देना, निःशुल्क पुस्तकें देना पुरस्कार देना, आर्थिक सहायता देना तथा आर्थिक रूप से हानि में रहनेवाले समूहों को उपर्युक्त प्रकार की सहायता देना।

ख– शिक्षकों प्रशिक्षकों तथा अन्य की सेवाओं को नगद पारिश्रमिक या अन्य प्रकार के पारिश्रमिक या सत्कार प्राप्त करना।

अ-10
100

10-11-2016

राम चन्द्र मौर्य
स्टाम्प विक्रेता कादीपुर
सुलतानपुर ला0 नं0 K2/54



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DB 792623

ग– ऐसे सभी विधिक कार्यों को करना, लेख पत्र लिखना जो कि उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रेरक एवं आनुषंगिक हों।

8. ऐसे किसी न्यास समिति, संस्थान या संस्था के साथ मिश्रित हो जाना या मिश्रित कर लेना, जिसका लक्ष्य पूर्णतः या अंशतः उपर्युक्त न्यास लक्ष्य के समान हो।

9. कोई भी बीज जो ऊपर कही गयी है या बाद में कही जायेगी इसके बावजूद न्यासकोष की आय इस प्रकार की सार्वजनिक कल्याणकारी उद्देश्यों हेतु खर्च किया जायेगा। जोकि आयकर अधिनियम 1961 या अन्य कोई अधिनियम जो सार्वजनिक धर्मस्व को न्यासों की आय से सम्बन्धित हो समय समय पर बनाये गये नियम शर्तों एवं सीमाओं के अधीन होगा।

10. **श्रीमती कमलेश कुमारी वर्मा** उर्फ ट्रस्टी जो कि सेटलर हैं को ही न्यास के नाम से बचत खाता खोलने, देखरेख करने, संचालित करने का अधिकार होगा, जैसा कि वे ही समय–समय पर न्यास कोष से सम्बद्ध करेंगे एवं किसी भाग या उसकी आय को किसी डिपाजिट करने या चालू खाता/बचत खाता खोलने का निर्णय करेंगे, जिसका संचालन **मा० कमलेश कुमारी वर्मा** करेंगी, फिर भी यदि किन्हीं परिस्थितियों में उपर्युक्त व्यवस्था नहीं है तो उक्त खाते का संचालन उक्त अवधि में ट्रस्टी द्वारा नामित व्यक्ति ही संचालित करेगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सेटलर की आकस्मिक मृत्यु होने की दशा में सेटलर का ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री क्रमशः बिना नामित किये ही स्वतः न्यास के सेटलर हो जायेंगे तथा सेटलर के सम्पूर्ण अधिकारों व कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे।

11. उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन विधि अनुसार न्यासगण न्यास कोष तथा अपने धारा के धन को किसी सिक्योरिटी में निवेशित करने या उसमें विवेकानुसार किसी निवेश या सिक्योरिटी में बदलने का अधिकार होगा।

12. न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु न्यास कोष को किसी अचल सम्पत्ति या उसके किसी भाग को कब्जा में लेने या उपयोग की अनुमति करने का भी न्यासगण का अधिकार विधिक होगा।

13. न्यासीगण न्यास से सम्बन्धित सभी कार्य सम्बन्धी का नियमित लेखा–जोखा, रजिस्टर विधि अनुसार बनाये रखेंगे।

14. न्यासगण समय–समय पर उन नियमों व शर्तों पर जैसा कि उन्हें समीचीन लगता हो एक या अधिक पर्यवेक्षकों, रिकार्डों/लिपिकों तथा दूसरे कर्मचारियों, गोकर्मों की नियुक्ति करके उनका पारिश्रमिक तय कर सकता है।

कमलेश कुमारी

रु. 11 रु. 4
100

10-11-2016

राम चन्द्र मौर्य
स्टाम्प विक्रेता कादीपुर
सुलतानपुर ला0 नं0 K2/54



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AS 142332

15. **मा0 कमलेश कुमारी वर्मा** अपने जीवनकाल तक स्थायी न्यासी होंगी। उपर्युक्त स्थायी न्यासी में से किसी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में **दीपांकर वर्मा** पुत्र मा0 **राजनणिवर्मा** के परामर्श से ही स्थायी न्यासी बनाये जा सकेंगे। इन दोनों के न रहने पर सेटलर द्वारा नामित बेहजों के परामर्श से स्थायी न्यासी बनाये जा सकेंगे तथा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि **श्रीमती कमलेश कुमारी वर्मा** के विधिक उत्तराधिकारी क्रमशः सेटलर तथा स्थायी न्यासी होंगे।

16. **मा0 कमलेश कुमारी वर्मा** इस न्यास न्यासीगण परिषद के क्रमशः सेटलर/निदेशक/ प्रशासक, अध्यक्ष/सभापति होंगे तथा सभा मीटिंग का सभापतित्व करेंगे, यदि न्यास की किसी मीटिंग में उपरोक्त स्थायी न्यासीगण किसी कारण से उपस्थित नहीं है तो उस विशेष मीटिंग के लिए अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार उपस्थित न्यासीगण को होगा। इस न्यास का सचिव तथा इस न्यास द्वारा संचालित सभी संस्थानों का प्रबन्धक/सेटलर स्वयं होगा तथा सेटलर को यह अधिकार होगा कि न्यास/संस्था के मूलभूत सिद्धान्तों से इतर कोई भी सदस्य अनैतिक कृत्य करता है तो तत्काल प्रभाव से न्यासी मण्डल की सदस्यता से निष्कासित कर देगा।

17. न्यासीगण की प्रत्येक मीटिंग की कार्यवाही का सारांश उस उद्देश्य हेतु रखी गयी सारांश पुस्तिका में दर्ज किया जायेगा और उस मीटिंग या अनुगामी मीटिंग के अध्यक्ष द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जायेगा।

18. न्यासीगण की न्यूनतम संख्या सेटलर सहित सात होगी। स्थायी न्यासीगण के कुछ समय के लिए न्यास हेतु अतिरिक्त न्यासीगण की नियुक्ति एक बार में अधिकतम तीन वर्ष की अवधि हेतु जैसा कि वे आवश्यक मानते हैं करने का अधिकार होगा, किन्तु एक समय पर न्यासीगण की संख्या 12 से अधिक नहीं होगी।

19. भारतीय न्यास अधिनियम से शुरुआत प्राविधानों के अधीन न्यासीगण अपने निर्णय के विवेकानुसार इस प्रकार के नियमों व शर्तों जिसे वे उपयुक्त व आवश्यक मानते हों इस लेख–पत्र के न्यास की सम्पत्ति या उसके किसी भाग को किसी समान या सम्बन्धित लक्ष्य वाले न्यास या संस्थान से जोड़ सकता है या अपने में समाहित कर सकता है।

20. किसी कार्य को करने या किये जाने की अनुमति देने या न्यास के प्रशासन में या अधिकारों के बारे में या न्यास के किसी खण्ड या प्रावधान के सच्चे आशय या अभिप्राय के सम्बन्ध में न्यासीगण में भिन्नता होने पर उनकी न्यासीगण के बहुमत का निर्णय अन्तिम एवं निर्णायक होगा। मत बराबर की स्थिति में सेटलर का निर्णय अन्तिम होगा।

कमलेश कुमारी

अ. 12 वि.क्र. 4
50 L

10-11-2016

राम दास पांडे
सत्र विशेष जयपुर
दुर्घटना स्था सं. K2/54



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AS 142333

21. समय-समय पर न्यास के लक्ष्यों, उद्देश्यों, प्रशासन, प्रबन्धन तथा फंड से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में न्यासीगण को-आडिटर, आर्किटेक्ट सर्वेयर, एकाउन्टेन्ट वैलुअर, एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, गैजेटर तथा आवश्यक कर्मचारियों को नियुक्ति करने तथा उन्हें इस प्रकार का शुल्क या विशेष पारिश्रमिक या अन्यथा जैसे कि न्यासीगण समय-समय पर अपने निर्णय विवेक से उपयुक्त समझें, भुगतान करने का अधिकार होगा।
22. प्रबन्ध न्यासीगण में से किसी एक से न्यायालय ट्रिब्युनल प्राधिकारी या निकाय के समक्ष चल रही कार्यवाही में न्यास का प्रतिनिधित्व करने हेतु नियुक्त कर सकते हैं।
23. इस न्यास से सम्बन्धित सभी प्रसंगों का न्याय क्षेत्र जादीपुर, सुलतानपुर, उत्तर प्रदेश होगा।
24. न्यासीगण न्यास के एकाउन्ट का आडिट करायेंगे तथा भारतीय न्यास अधिनियम या अन्य लागू होने वाले अधिनियमों के प्रावधानों का उसमें संशोधनों का पालन करेंगे।
25. न्यास को सन्दर्भ सम्पत्तियों को न्यास के विषय में सहमति ले ली गयी है, इस न्यास विलेख में कुल रुपया 1320/रु० का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

सेटलर/निदेशक/प्रशासक- मा० उमलेश कुमारी वर्मा पत्नी मा० राजमणियमा निवासी ग्राम पोस्ट-मगरांवा, तहसील-कादीपुर, जिला-सुलतानपुर उ0प्र0

क्रo सo	नाम	पिता/पति का नाम	पता	व्यवसाय
1	मा० उमलेश कुमारी वर्मा	मा० रामनयन वर्मा	निवासी ग्राम व पोस्ट-मगरांवा तहसील-कादीपुर, जिला-सुलतानपुर उ0प्र0	समाज सेवा
2	मा० राजमणि वर्मा	मा० रामनयन वर्मा	निवासी ग्राम व पोस्ट-मगरांवा तहसील-कादीपुर, जिला-सुलतानपुर उ0प्र0	समाज सेवा
3	मा० संगीता गौतम	मा० रमेश गौतम	निवासी ग्राम व पोस्ट-मगरांवा तहसील-कादीपुर, जिला-सुलतानपुर उ0प्र0	कृषि
4	गुलशन	इंद्रियाज	ग्राम-छपरौना, पोस्ट-त्रिलोकपुरनेवादा तहसील-कादीपुर, जिला-सुलतानपुर	गृहिणी

10

उमलेश कुमारी

अ-13
50L

10-11-2016

राम चन्द्र मौर्य
स्टाम्प विक्रेता कादीपुर
सुलतानपुर ला0 नं0 K2/54

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES

कादीपुर - सुलतानपुर

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

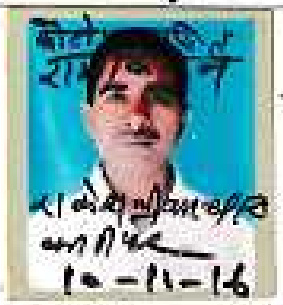
AS 142334

6	मा0 शीला मुखर	मा0 रामऊलेर मुखर	ग्राम–खण्डौत, पोस्ट–जिलोजपुरनेवादा तहसील–कादीपुर, जिला–सुल्तानपुर (यू0पी0)	गृहिणी
8	मा0 लालचन्द्र वर्मा	मा0 रामप्रसाद वर्मा	ग्राम–पूरेमिलई, पोस्ट–तूरेपुर, तहसील–सदर, जिला–सुलतानपुर।	कृषि
7	मा0 मनभावती वर्मा	मा0 फूलचन्द वर्मा	ग्राम–पूरेमिलई, पोस्ट–तूरेपुर, तहसील–सदर, जिला–सुलतानपुर।	गृहिणी

गवाह 1–

नाम–

पता–

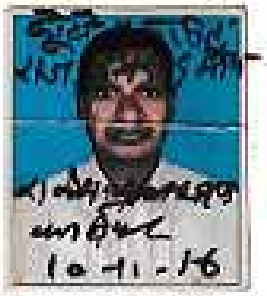


राम किशुन मौर्य पुत्र स्व० राम प्रसन्न मौर्य नि० इनौलपुर पर० अम्बेडकर तहसील कादीपुर जि० सुलतानपुर

गवाह 2–

नाम–

पता–



लेखक–
प्रदीप कुमार मिश्र
एवमल कम्प्यूटर्स
कादीपुर, सुलतानपुर।

राजेन्द्र प्रसाद मौर्य
पुत्र राम कुंवर मौर्य
ग्राम - भालापुर - जमदीपुर
तहसील - कादीपुर

अ. 14 अध्याय 4
50

10-11-2016

राम चन्द्र मौर्य
ग्राम विकास अधिकारी
पृथ्वीनपुर लाल नं0 KJ/54